60/1.cz

MRKHAND.



OHANDAD,

Before: The Notary Public, Dhanbad.

Affidavit.

We,1.Vijay Kishor Sahay and 2.Ajay Kishor Sahay, both sons of late Awadh Kishor Sahay, both residents of Ram Nagar, Near Kali Mandir, Panderpala, P.O. 'B' Polytechnic, District Dhanbad, (Jharkhand), 5.Niraj Kumar, Son of Late Shiv Sharan Prasad, resident of MIG/R-26, Housing Colony, Dhanbad,

4.Alpana Srivastava, Wife of Binod Kumar Srivastava,

5.Binod Kumar Srivastava, Son of late Ashwini Kumar, both residents of Or.No.3E/629, Bhuli Township, P.O.Bhuli, P.S.Bhuli, District Dhanbad, (Jharkhand), all by faith Hindu, all occupation business, do hereby solemnly affirm on oath and declare as under:-

1. That, WeVijay Kishor Sahay, and Ajay Kishor Sahay, both sons of late Awadh Kishor Sahay, have the owners of the land situated at Ram Nagar Panderpala, Khata No.647, Mouza Panderpala, Mouza no.4, Plot No.509, total area measuring 4230 Sft. and its present value is Rs.48,00,000/-(Rupees forty eightlacs/only.

2. That, I, Niraj Kumar, owner of the vehicle Scorpio bearing its registration No.JH-10AL-5977, value Rs.6,00,000/ - (Rupees six lacs) only.

2. That, I, Alpana Srivastava, owner of the plot no. 807, situated at Bhelatand Mouza, Khata No. 42, area measuring 5 kathas, valued at Rs. 35, 00, 000/-(Rupees thirty five lacs) only.

4. That, I, Binod Kumar Srivastva, holder o the S.B. Account no.10976669320 of State Bank of India, Dhanbad, Tying

5. That, we are the partners of M/s Star Developer, situated at Panderpala, Dhanbad and by this affidavit, we jointly possess the properties , its valuation is total Rs.1,15,80,704.87 p. (Rupees one crore fifteen lacs eighty thousands seven hundred four and paise eighty seven lonly. We do hereby declare that none of the partner is registered with any department. 6. That, We are swearing this affidavit for needful to file it before the authority concerned.

Verification.

We do hereby declare that the statements made above are true to my knowledge -e and belief. We sign this verification at Dhanbad on 19.6.18

Solemlly afirmed before me by the deponentswho is duly identified by Sri Baban Kumar Sinha, Advocate , Dhanbad .

IHOY KIBLISC. COLOY [PAHAZ BROHZIN PA LIVII

3 NEERAG KUNGR Aniestava (AVATLAVIAZ ANHYJA) 4

Le Krongslows 5 (BINOD KUMBR SRIVASTAVA) Deponents.

Identified by:

Advocate.

Notary Public, Dhanbad.

PATNA (Alhan) Date 0-7.12.198

MARKA

DHANBAD

1/8 207 (1) 5; of the Ct PC 197 Act no 11 of 19/6: 8 (1/s 18) (1) 1 the Notaries Act 1952 AT NO 52 TO 1952) 56

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adi = Adiustment	Dft = Draft	proc = Processing Change
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
An= Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
cha/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
cha = Cheaue	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/In = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)



			-	- 4
END BALANCE		2725837,000,	2673967.00Cr	
00	2725831.24 Cr	272	792	
CREDIT	2	5.76	*	
	Forward	248452,00cr		248452,000
T1830	Brought Forward	AL:	40000,00	ML.
		Cr: two B		Ct.; 11100 to
CHEQUE-NO		2725831.24 Cr; (4MOD BAL:		2673967.00 Cr; HOD BAL.
		03.05.18 CR_PETROL DISCOUNT JH901474 04-01-2018 0	HEKHAR	0.00 [Clr Bal:
		0.00 T JH001474	DINCORE TRX CUSTN CICC INC. SUDHANISHT SHEKHAR	00.0
CULARS		C DISCOUN	TRANSFER TO INCOME TAX TRANSFER TO MY SUDMANS	
		Uncl Bal: 8 CR_PETROL C 8 INB OLIAS		Undl Balt
DATE		03.05.18	05, 05, 18	



लेख्यकारों का नाम एवं पूरा पता - नवलेश शर्मा, पिता श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, जाति भूमिआर ब्राहमण, धर्म-हिन्दू, पेशा-.व्यवसाय, निवास स्थान पाण्डरपाला नियर काली मंदिर, पो0- 'बी' पॉलिटेक्निक, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद राज्य झारखंड-झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

.....प्रथम पक्ष / भूमी मालिक

एवम्

लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :- स्टार डेवलेपरर्स पार्टनरशीप फर्म डायरेक्टर (1) अल्पना श्रीवास्तव, पति- श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, पता- भूली, धनबाद, (2) रूबी **अ** पति– श्री विजय किशोर सहाय, पता– रामनगर, पाण्डरपाला, नियर काली संदिर, धनेशाद, (3) शिखा सहाय, पति- श्री अजय किशोर सहाय, पता- रामनगर, काली मंदिर, पाण्डरपाला, धनबाद, (4) तृप्ती श्रीवास्तव, पति– श्री निरज कुमार,

Ruby Sahay

profile

of the Lymnan

लेख्यप्रकार:— आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने हेतु डेवलपमेंट एग्रिमेन्ट।

सम्पति का विवरण :- मौजा-पाण्डरपाला नं0-4, अंचल धनबाद जिला धनबाद खाता नं0-04 प्लॉट नं0-459, रकवा - 8.44 कट्ठा । उपर्युक्त जमीन का एकरार कर रहे हैं।

यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने की इच्छा रखते हैं और द्वितीय पक्ष बहुमंजिला भवन बनाने का व्यवसाय करते हैं तथा द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से सम्पर्क कर उक्त जमीन पर आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमजिला अपार्टमेन्ट बनाने की इच्छा जताई तथा दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों पर आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने को तैयार हुए।

यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर आवासीय एवं व्यवसायिक बहुंमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने हेतु सक्षम कार्यालय से नक्शा पास करायेंगे तथा नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य करेंगे और उससे संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक सेवाएँ लेंगे तथा उक्त भूमि से संबंधित कोई भी कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो द्वितीय पक्ष करेंग। जब तक उक्त जमीन का नक्शा पास नहीं होगा तब तक जमीन पर अपार्टमेन्ट बनाने से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा तथा प्रथम पक्ष इस कार्य हेतु सभी आवश्यक कागजात दस्तावेज द्वितीय पक्ष को देंगे एवं सहयोग करेंगे।

यह कि, प्रथम पक्ष भूमि के एवज में निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट का 30 प्रतिशत बिल्ड—अप एरिया के मालिक बनेंगे तथा द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के एवज में 70 प्रतिशत बिल्ड—अप एरिया के मालिक बनेंगे। जो की हरेक मंजिल एवं निचले तल्ले, पार्किंग में सन्निहीत होंगे।

यह कि, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से एकरारनामा होने के साथ-साथ उक्त जमीन का रिज़र्स्टर्ड पावर ले लेंगे, तथा प्रथम पक्ष उक्त रिजस्टर्ड पॉवर को किसी भी परिस्थिति में रद्दे नहीं करेगें।

व दितीय पक्ष के बीच पैसे का लेन देने नहीं हो रहा है।

यह कि, द्वितीय पक्ष अवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट के निर्माण के पश्चात् अपने हिस्से के फ्लैट्स एवं गाड़ी रखने की जगह यानि 70 प्रतिशत निर्मत आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट को बिक्री हेतु एकरार करेंगे, विक्रय करेंगे तथा पूर्ण पैसा प्राप्त करेंगे, जो बिना किसी जोर या दबाव के प्रथम पक्ष द्वितीय पक्षगण को देंगे एवं जिस पर द्वितीय पक्ष का भुखण्ड पर मालिकाना हक एवं पूर्ण अधिकार तथा दखल—कब्जा हो जायेगा और वे जिस तरह चाहे उस तरह अपना उपयोग करेंगे या किसी दूसरे से हस्तांतरण करने हेतु स्वतंत्र होंगे। तथा प्रथम पक्ष आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट के निर्माण के पश्चात अपने हिस्से के फ्लैट्स एवं गाड़ी रखने की जगह यानि 30 प्रतिशत निर्मत आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट के निर्माण करेंगे तथा पूर्ण पैसा प्राप्त करेंगे या दोनों पक्ष किसी भी प्रकार की आपित्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो वो कानूनन गलत एवं नाजायज होगा।

यह कि द्वितीय पक्ष माडा / नगर निगम से नक्शा पास होने के बाद से निर्माण कार्य शुरू करने के तीन साल छः माह (42 माह) के अन्दर उक्त आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट का निर्माण पूरा कर लेंगे इसमें किसी भी प्रकार का अपने तरफ से देर नहीं करेंगे। देर होने पर 6 (छः) माह का ग्रेस पिरियड मिलेगा अगर इस अवधि में डेवलेपर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते है तो यह एकारारनामा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

यह कि, द्वितीय पक्ष के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले माडा / नगर निगम एवं संबंधित कार्यालय से प्रस्तावित नक्शा प्राप्त कर हीं कार्य प्रारम्भ करेगें।

यह कि, प्रथम पक्ष का यह दायित्व होगा कि अपने पुराने भवन को ध्वस्त करने में द्वितीय पक्ष का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तथा इसका खर्च द्वितीय पक्ष वहन करेगें।

अगर होगें तो आज की तारीख से दिनों के अन्दर खाली करवा कर द्वितीय पक्ष को खाली अवस्था में उक्त जमीन को सपूर्व करेगें, ताकि द्वितीय पक्ष उस पर स्वारू रूपरें अपना कार्य कर सके।

यह कि एकरारनामा के बाद जमीन संबंधी किसी प्रकार का अड़चन आता है तो उस अड़चन को खत्म करने की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी, एवं जमीन पर काम करने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उस परेशानी को खत्म करने की जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी।

यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को निम्न कागजात मुहैया करायेंगे :-

- स्वामित्व के कागज की सच्ची प्रतिलिपि 由.
- मालगुजारी का अद्ययतन भुगतान रसीद ख.
- दाखिल खारिज का अंचलाधिकारी से अंभिप्रमाणित प्रतिलिपि की सच्ची ग. प्रतिलिपि।
- ऑन लाईन रसीद भी ਬ.
- यह कि प्रथम पक्ष भुखण्ड संबंधी अन्य कागजातों की सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध 1. कराने में मदद करेंगे तथा भूमि की नापी कराकर शांतिपूर्ण कब्जा दे देंगे।
- यह कि भवन निर्माण में किसी तरह का जो खर्च होगा उसका हिसाब-किताब 2. लेने देने से किसी प्रकार का कोई प्रथम पक्ष को या उसके वारिसान या उसके उतराधिकारियों को नहीं रहेगा।
- यह कि, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को यह भी आश्वासन देते हैं कि उक्त भूमि सभी प्रकार से पाक-साफ हो, ऋण भार से मुक्त है तथा इस भूमि पर किसी अन्य को कोई हक हिकयत नहीं है। साथ ही यदि साइट पर कोई तीसरा पक्ष अपना हक या अधिकार जाहिर करता है तो उसे मुक्त कराने की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी।
- यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार देते हैं कि उक्त भूमि पर अपार्टमेन्ट का नक्शा बनाकर धनबाद क्षेत्रिय विकास प्राधिकार या धनबाद नगर निगम धनबाद के कार्यालय वो अन्य जहाँ आवश्यक हो पास करवायें।

यह कि, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार देते हैं कि द्वितीय पक्ष अपनै रहिस्से का फ्लैट या पार्किंग किसी व्यक्ति अथवा संस्था का बेच / निबंधित कर रे सेकते हैं तथा प्रथम पक्ष एवं उनके वारीशान इस संबंध में कोई आमिली / हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

- यह कि बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद तथा हस्तांतरण होने पर प्रथम पक्ष भी फ्लैट ऑनर संगठन के सदस्य बनेंगे तथा जो भी रख-रखाव पर खर्च होगा अपना हिस्सा का खर्च समिति को देंगे तथा साथ-साथ समिति के नियम का पालन करेंगे।
- यह कि, द्वितीय पक्ष को सामान्य सुविधा जैसे जेनरेटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि में 7. लगने वाले खर्चों को वहन करना होगा तथा इसका उपयोग प्रथम पक्ष के द्वारा किये जाने पर प्रथम पक्ष अपने हिस्से के खर्च का वहन करेंगे।
- यह कि, प्रथम पक्ष कंडिका में वर्णित भूमि को बिल्डिंग निर्माण के लिए द्वितीय पक्ष डेवलपर्स को शांतिपूर्वक दखल देंगे। प्रथम पक्ष इस बात का दावा करते हैं कि उक्त भूमि सभी प्रकार से ऋणभार से मुक्त हैं और इसमें किसी प्रकार का वाद-विवाद लंबित नहीं है और न ही कोई बिक्री हुआ है। अगर भूमि में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होता है तो इसकी पूर्व जवाबदेही प्रथम पक्ष की होगी तथा उसकी भरपाई प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को करने के लिए बाध्य होंगे।
- यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा कॉमन उपयोग के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम व जेनरेटर इत्यादि का उपयोग प्रथम पक्षगण भी करेंगे। बहुमंजिला इमारत बनाने के बाद ही डेवलपर को अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति या फर्म को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगा तथा इसके एवज में लिये गये पैसों पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा।
- प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के एक पावर ऑफ एटॉर्नी देंगे जिसके आधार पर द्वितीय 10. पक्ष सभी कागजों जैसे नक्शे पास कराना, बिजली कनेक्शन, वाटर सप्लाई एवं अपने हिस्से यानी 70 प्रतिशत फ्लैट का रजिस्ट्री अपने पार्टी को करेंगे। उसमें प्रथम पक्ष एवं उनके वारिस का कोई आपत्ति नहीं होगी।
- यह कि, प्रथम पक्ष तथा उसके वारिस एवं प्रस्तावित भवन के निर्माण में किसी ष्रेकार का दखल अंदाजी नहीं करेंगे और नहीं किसी प्रकार का रूकावट करेंगे, बर्शते लिखे नियम व शर्तों के विरुद्ध न हो। डेवलपर अपना ठीकेदार और अन्य कारीगर, वर्कर आदि बहाल करने तथा उनसे काम करवाने का पूर्ण अधिकार होगा। डेवलपर को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से ईट,



पूर्ण अधिकार होगा। डेवलपर को निर्माण कार्य संबंधित किसी संवैधानिक संस्था द्वारा जारी समय जोखिम लेने का अधिकार होगा तथा इसका जवाब और अन्य कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

- यह कि, द्वितीय पक्ष को विज्ञापन देने तथा आवासीय निर्मित / निर्माणधीन फ्लैट बुक कराने एवं अपने बने हुए (यानि 70 प्रतिशत) हिस्से को बेचने का पूर्ण अधिकार होगा। दोनो पक्षों के बंटवारे के पश्चात प्रथम पक्ष डेवलपर एवं इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में विक्रय-पत्र (सेल डीड) का निष्पादन करेंगे। साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा यदि निर्माणधीन भवन में बिना कारण के काम में अडचन लायेगें और रूकावट पैदा करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी दूसरे शब्दों में द्वितीय पक्ष मुआवजा के अधिकारी होंगे।
- यह कि, डेवलपर इस प्रस्तावित निर्माण से संबंधित सभी नफा एवं नुकसान का 13. स्वयं भागी होगा।
- यह कि, उपरोक्त कंडिका में वर्णित शर्तों वैसी स्थिति में लागू नहीं होगा यदि 14. निर्माण कार्य किसी ऐसी घटना के कारण रूका हो जिस पर डेवलपर को अधिकार हीं न हो। किसी तरह के प्राकृतिक आपदा, दंगा एवं सरकारी आदेश के तरफ विलम्ब के लिए डेवलपर दोषी नहीं होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष को मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
- यह कि, पथम पक्ष आवश्यकतानुसार डेवलपर के आग्रह पर भवन निर्माण 15. सम्बन्धित सभी प्रकार के आवेदन शपथ पत्र पर दस्तखत करने के लिए बाध्य होंगे।
- यह कि, भवन निर्माण में प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति निर्माण के समय करते हैं तो वह अवैध मानी अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष सभी खर्च सहित मुआवजा के अधिकारी होंगे।

यह कि समयानुसार या नियम कानून के अनुसार निर्माणाधीन भवन में किसी त्रिष्ट रक्षा फेर बदल करना पड़े तो भवन निर्माता यानि द्वितीय पक्ष फेर बदल

- 18. यह कि, द्वितीय पक्ष स्वयं का किसी अन्य ठीकेदार या पेटी कांटेक्ट से भवन निर्माण करा सकते हैं। निर्माण के समय अभियंता या अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति या प्रोन्नित या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष को ही रहेगा। उसी प्रकार द्वितीय पक्ष सुविधा अनुसार अभियंता, आर्किटेक्ट, सर्वेयर बहाल कर सकते हैं।
- 19. यह कि, भवन निर्माण के समय जो ईटा, बालू, गिटी, लोहा, सीमेन्ट, मार्बल, ग्रेनाईट पत्थर यानि भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्री अच्छी क्वालिटी का खरीदेगें और उसकी कीमत अदा करने की पूरी जववाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
- 20. यह कि, उपर वर्णित भूमि पर भवन निर्माण करने के संबंध में किसी भी विभाग में आवेदन देने की जरूरत पड़े या मुकदमा करने पर अधिवक्ता बहाल करने या वकालतनामा लिखने या शपथ पत्र माडा / नगर निगम / प्रखण्ड / अंचल नक्शा पास हेतु या किसी अन्य चीज की जरूरत पड़े तो यह कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा। द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर प्रथम पक्ष के रूप में मान्य होगा।
- 21. यह कि, द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के खरीदार के हित में अपने किसी भी फ्लैट को किसी भी बैंक या फाईनेन्सीयल इन्स्टीच्यूशन में प्रथम पक्ष के सहमित से बंधक रखते हुए कर्ज ले सकता है। वह फ्लैट फाइनेन्सीयल इंस्टच्यूशन में सिक्यूरिटी के रूप में रहेगा। इस तरह के कर्ज की पूरी भरपाई खरीदार स्वयं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस कर्ज से संबंधित देनदारी, प्रथम पक्ष की नहीं होगी। इस कार्य में प्रथम पक्ष किसी तरह की कोई आपित प्रकट नहीं करेगा।

- यह कि, प्रथम पक्ष के सदस्यगण द्वितीय पक्ष को यह विश्वास दिलाते हैं कि 23. वर्णित भू-खण्ड ऋणभार एवं दोष से बिल्कुल पाक और साफ है तथा यह जमीन सिलींग या अन्य विभागीय कार्रवई से बिल्कुल मुक्त है तथा जमीन के स्वामित्व में किसी भी प्रकार की गडबड़ी के कारण प्रथम पक्ष द्वारा सभी खर्च पर बाजार सुद समेत पूर्ण मुआवजा द्वितीय पक्षगण को देय होगा।
- यह कि प्रथम पक्ष ने यह विश्वास दिलाया है कि वह इस एग्रीमेन्ट के पहले 24. किसी भी प्रकार का एग्रीमेन्ट संबंधित सम्पति के लिए कभी नहीं किया गया है. तथा भविष्य में किसी अन्य के साथ एक निश्चित समय तक भवन निर्माण हेत् कोई एकरारनामा नहीं करेंगे ऐसा करने पर प्रथम पक्ष के उपर उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं द्वितीय पक्षगण पूर्ण मुआवजा का हकदार होगा।
- यह कि, अगर प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष में से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके उतराधिकारी को पक्ष माना जायेगा।
- यह कि, अगर किसी प्रकार का दोनो पक्षों में विवाद होगा तो दोनो पक्ष 26. अपने-अपने आर्बिटेटर द्वारा समस्या को सुलझायेगें।

जमीन का विवरण/एवं चौहद्दी

सम्पति का विवरण :- मौजा-पाण्डरपाला नं0-4, अंचल धनबाद जिला धनबाद खाता नं0-04 प्लॉट नं0-459, रकवा - 8.44 कटठा ।

चौहददी:-

पुरब - 10' चौडा रास्ता पश्चिम – अघनू महतो का जमीन दक्षिण - मेन रोड 25' उतर – प्रथम पक्ष का नीज जमीन का अंश

आज दिनांक..... को दोनो पक्षों ने गवाहों के समक्ष इस एकरारनामा को पद्कर, पढ़ाकर एवं स्वरथ्य मस्तिष्क से सोंच समझकर बिना किसी के दबाव में आये गवोहीं के समक्ष अपना अपना हस्ताक्षर इस एकरारनामे पर बनाये जो समय पर काम

गवाहों का हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

AUTON 1. ACT Sivas 19 var

AUTO 1. 181 J. NOW 18 252 Puby Sahay

Uls 3(1) 181 NO 53 OF 3. Shika 9 Sahay

4. There of the sahay

Tologopaldio



Home

Download Mobile App

Official Login

पंजी ॥ विवरण

Go Back

विवरण

भाग वर्तमान

प्

पृष्ठ संख्या

: 1773

जिला का नाम

: धनबाद

अनुमंडल नाम

: धनबाद

अचंल का नाम

: धनबाद

हलका का नाम

हलका-01

मौजा का नाम

पाण्डरपाला

होल्डिंग संख्या

1773

थाना नाम

: झरिया

थाना नंबर

diali olia

तौजी संख्या

.

इस्टेट का नाम

झारखंड

1

खाता का प्रकार :

रैयती

रैयत का नाम

क्रम सं.

रैयत का नाम

जाति निवासी

1. श्री विजय किशोर सहाय वो श्री अजय किशोर सहाय पिता - स्व. अवध किशोर सहाय

प्लोट का विवरण

खाता नंबर	प्लोट संख्या	स्कवा						
647	509	0 एकड़ 0 डिसमील 0 छटाक						
	कुल परिमान	0 एकड़ 4230 वर्गफीट 0 छटाक						

लगान का विवरण

लगान	रोड सेस	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य सेस	कृषि सेस	कुल
5.00	1.25	2.50	2.50	1.00	12.25

बकाया देखें

पिछली भूगतान देखें

पुनः स्रोज सर्दे

Sch XIV- F.No. 180v रसीद मालगुजारी नाम सर्कल । नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

फरद मलकी / फरद रैयती नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

Vol. No.

वो सकुनत नम्बर। Receipt No.: 0412719791

Page No. : 1773

बाद पाण्डरपाला 4 श्री विजय किशोर सह	य वो श्री अजय किशोर सहाय					
खाता संख्या	. खेसरा संख्या	स्कबा (एकड़ में) 0 एकड़ 4230 वर्गफीट 0 छटाक				
647	509					

ाराजी नकदी	अराजी भावती	तफसील हिसाब लगान भावली

जीत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

मांग बाबत			Marie Samuel Samuel				
		सालाना तीन वर्ष से ज्यादा (2014-2015) - (2014-201		3 स वर्ष (2015-2016)	२ रा वर्ष (2016-2017)	१ ला वर्ष (2017-2018)	हाल (2018-2019)
माल	(नकदी)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
गुजारी	(भावली)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
सेस	59551#165# 5#	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
सूद	****	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मुतफरकात	1.0000000000000000000000000000000000000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मीजान		12,25	12.25	12,25	12.25	12.25	12,25

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत			मोतालबा				
		तीन वर्ष से ज्यादा (2014-2015) - (2014-2015)			१ ला वर्ष (2017-2018)	हाल (2018-2019)	फाजिल
माल	(नकदी)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
गुजारी	(भावली)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
सेस	* * 5 5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
सूद		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
मुतफरकात	****	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
मीजान अदायकारी		12.25	12.25	12,25	12,25	12.25	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) : Sixty One Rupees and Twenty Five Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 61.25

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा: 07-06-2018

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है। यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है। इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।



Mob : 9155181048 6202171104 7903403641

RAM NAGAR, PANDARPALA, B.POLYTECHNIC, NEAR KALI MANDIR, DHANBAD (JHARKHAND)

Ref.	no.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,

Date	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

We partners of M/s Star Developer hereby declare that we are applying for Builder Registration in Dhanbad Municipal Corporation.

We hereby declare that, we didn't have any work contract in anyof the government department, public sector undertaking & Pvt. Ltd. firm.

This is for your kind consideration.

Director

1. Alpana Srivastava

2. Binod Kr. Srivastava

3. Neeraj Kumar Neeraj Kermar

4. Tripti Srivatava Tripti Srivastava

5. Vijay Kishore Sahay

6. Ruby Sahay

7. Ajay Kishore Sahay

8. Shikha Sahay Swikha Sahay



CERTIFICATE OF REGISTRATION JHARKHAND STATE

N01994506R

Registration No. JH10AL5977 Registration Date 28/10/2013 Manufacturing Dt 05/2013

Purpose HPA / SHRIRAMTRANSPORTFINCOLTD



Colour WHITE Fuel DIESEL Vehicle Class Motor Car - NT Body Type JEEP
Manufacturar MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
Chassis No MA1TA2GMKD2E19312

Seating Capacity 007 No Of Cyc 04 Standing Capacity 00 Owner Serial 01

Engine No. Model No. Owner Name

GMD4E40203 SCORPIO **NEERAJ KUMAR**

S/D/W of S/O SHIV SHARAN PRASAD Address

MIG R/26 HOUSING COLONY NEAR CHHAT TALAB M-9334096306DHANBAD Dhanbad JH 999999

Signature Of Issuing Authority

DTO-DHANBAD Issuing Authority

Tax Paid Up ToOTT Regd. Validity 23/07/2028 Unladen Wt 001750 Cubic Capacity002523 Wheel Base 999999 RLW 000000

